न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपीडी/टीए/5805/2003/हनुमानगढ

1 मु0 हीरादेवी बेवा गंगाराम जाति नायक
2 डालूराम पुत्र गंगाराम (मृतक)
3 कृष्णकुमार पुत्र गंगाराम जाति नायक निवासीयान रामसरा तहसील नोहर जिला श्रीगंगानगर

अपीलार्थीगण

बनाम

1 प्रेमकुमार पुत्र सदादेवी जाति नायक निवासी धानसिया तहसील नोहर
2 राजस्थान सरकार

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री मोडूदान देथा, सदस्य

उपस्थितः श्री अमृतपालसिंह वकील अपीलार्थीगण
श्री सतबीरसिंह सिद्धू वकील प्रत्यर्थी संख्या 1

निर्णय

दिनांकः.19.12.19

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधियिम, 2955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ द्वारा अपील संख्या 30/99 में पारित निर्णय दिनांक 12.11.2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी प्रत्यर्थी संख्या 1 की माता सदा बेवा बाधाराम ने एक वाद बाबत इस्तकरार हक व हुक्म इम्तनाई दवामी का सहायक कलक्अर, होना मु0 भादरा के न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम धानसिया के साबिक खसरा नम्बर 123मि. रकबा 16.08 बीघा बाधा वल्द माना नायक की सम्वत 2012 से कब्जा काश्त की भूमि है जिसे वह अपने पूरे जीवन काश्त करता रहा। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय काबिज काश्त होने से वह खातेदार हो चुका था परन्तु अमला माल ने उसके नाम 12 बीघा भूमि की गिरदावरी की जबकि वह 16.08 बीधा पर काबिज काश्तकार था। बाधा फोत हो चुका है। वादिया उसकी पत्नी होकर

जायज वारिस है। उक्त साबिक खसरा नम्बर 123मि से हाल खसरा नम्बर 475मि. रकबा 16.08 बीघा बने व दौराने पैमाइश भू प्रबन्ध विभाग ने उक्त आराजी को आराजी राज दर्ज कर दिया जबकि वादिया को खातेदार दर्ज करना चाहिये था। उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर दिनांक 22.7.82 को प्रतिवादी संख्या 2 अपीलार्थीगण को आवंटित कर दिया जो निरस्त किया जावे एवं वाद डिक्री किया जावे। प्रतिवादी ने जबाबदावा प्रस्तुत कर वाद का खण्डन किया। विचारण न्यायालय ने दावे व जबाबदावे के आधार पर तनकियात कायम की एवं निर्णय दिनांक 21.7.92 से वादिया का वाद खारिज कर दिया। इसके विरूद्व राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 12.11.2003 से अपील स्वीकार कर वादिया का वाद डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि प्रथम अपील काफी विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी एवं देरी का समुचित कारण नहीं होने पर भी देरी को माफ किया गया है जो अनुचित है। प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. को स्वीकार करने का कोई उपयुक्त कारण नहीं था। दस्तावेज पहले प्रस्तुत नहीं किये जाने का कारण नहीं बताया गया है जिससे प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने जमाबन्दी सम्वत 2011 से 2014 के आधार पर साबिक खसरा नम्ब्र 123 के रकबा 16 बीघा 8 बिस्वा पर कब्जा काश्त मानकर अपील स्वीकार की है जबकि इस खसरे का रकबा काफी बडा है तथा बाधा का कब्जा काश्त मात्र 12 बीघा पर होना ही दर्शाया गया है। जिससे वादी का वाद साबित नहीं होता है। हाल खसरा नम्बर 475मिन पर सम्वत 2029 से 2038 में रकबाराज होने से वादिया का कब्जा काश्त नहीं रहा है एवं आवंटन के बाद से अपीलार्थीगण काबिज काश्त चले आ रहे हैं। अपीलार्थीगण को विधिवत कब्जा दिया है। आवंटन निरस्त कराये बिना उन्हें बेदखल नहीं किया जा सकता। अतः यह अपील स्वीकार की जावे।

3. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में तर्क दिया कि अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र पर विश्वास कर देरी को माफ किया है। वैसे भी गुणावगुण पर प्रकरण मजबूत होने पर देरी का बिन्दु महत्व नहीं रखता है एवं नरमी का रूख अपनाना चाहिये। आदेश 41 यिम 27 सी.पी.सी. के अन्तर्गत किसी भी स्टेज पर अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत की जा सकती है। प्रस्तुत दस्तावेज लोक दस्तावेज की प्रमाणित प्रति होकर प्रकरण के निस्तारण में सहायक होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अतिरिक्त साक्ष्य अभिलेख पर ली गई है। विवादित आराजी सम्वत 2011 से लगातार वादिया प्रत्यर्थी

संख्या 1 के कब्जे काश्त व खातेदारी में रही हैं। भू प्रबन्ध के दौरान गलत रूप से आराजी राज दर्ज कर दी एवं आवंटन कर दिया जिससे वादिया के अधिकार समाप्त नहीं होते हैं। अतः यह अपील खारिज की जावे।

4. हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

5. प्रथम अपीलीय न्यायालय ने जमाबन्दी सम्वत 2011 से 2014 एवं उसके बाद की जमाबन्दियों में वादिया के पति बाधा का नाम दर्ज होने एवं खसरा गिरदावरी में कब्जा दर्ज होने के आधार पर अपील स्वीकार कर वादिया का वाद डिक्री किया है।

6. विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात खसरा गिरदावरी प्रदर्श पी–5 में खसरा नम्बर 496 के 12 बीघा पर बागा वल्द माना नायक का नाम दर्ज है। इसी प्रकार खसरा गिरदावरी प्रदर्श पी–4 में खसरा नम्बर 123 के 12 बीघा पर बाधा बदस्तुर अंकित है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2012 से 2015 में बाधा का 12 बीघा पर कब्जा काश्त बदस्तुर अंकित है। खतौनी सम्वत 2029 से 2038 प्रदर्श पी–3 में नये खसरा नम्बर 475 सिवायचक दर्ज हैं। जमाबन्दी सम्वत 2014 से 2018 प्रदर्श पी–2 में कालम संख्या 4 में बाधा वल्द माना नायक का नाम दर्ज है तथा कालम संख्या 5 नाम कृषक में खुदकाश्त अंकित हैं। मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श पी–12 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 123 रकबा 31 बीघा 8 बिस्वा से नये खसरा नम्बर 475 रकबा 31 बीघा 8 बिस्वा बने हैं। प्रदर्श पी–13, पी–14 धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के बाधा के नाम खसरा नम्बर 475 पर अतिक्रमण कर लिये जाने के नोटिस जारी किये गये हैं। इसके साथ ही प्रथम अपीलीय न्यायालय में आदेश 41 नियम 27 सी. पी.सी. के अन्तर्गत प्रस्तुत अतिरिक्त साक्ष्य में खतौनी सम्वत 2011 से 2014 में खसरा नम्बर 123 के 12 बीघा पर बाधा वल्द माना का नाम कृषक के रूप में दर्ज है। गिरदावरी सम्वत 2016 में परिवर्तन के कालम में इंतकाल संख्या 145 खातेदारी 12 बीघा लाल स्याही से अंकित है।

7. उक्त दस्तावेजी साक्ष्यों से यह साबित होता है कि साबिक खसरा नम्बर 123 की 12 बीघा पर बाधा का नाम सम्वत 2011 से दर्ज चला आ रहा है जिससे वादिया 12 बीघा भूमि पर खातेदारी प्राप्त करने की अधिकारिणी हैं। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने हाल खसरा नम्बर 475 के 16 बीघा 8 बिस्वा पर खातेदारी अधिकार दिये हैं जो निराधार एवं अनुचित है क्योंकि बाधा का कब्जा काश्त 12 बीघा रकबे पर ही रहा है। अतः वादिया 12 बीघा भूमि की ही खातेदार घोषित की जा सकती है।

8. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण का यह तर्क कि प्रथम अपील अवधि बाहर थी एवं देरी का समुचित कारण नहीं था, मानने योग्य नहीं है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने धारा 5 मयाद अधिनियम के बिन्दु पर पूर्ण विवेचन कर प्रकरण के गुणावगुण पर ठोस आधार होने को आधार बनाकर देरी को माफ किया है जिसमें हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं। इसी प्रकार प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के अन्तर्गत प्रस्तुत अतिरिक्त साक्ष्य राजस्व अभिलेख की प्रमाणित प्रति होकर इस प्रकरण के निस्तारण में सहायक होने से ऐसे दस्तावेज को किसी भी स्तर पर अभिलेख पर लिया जा सकता है।

9. उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह अपील आंशिक स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 12.11.2003 में आंशिक संशोधन किया जाकर हाल खसरा नम्बर 475 के रकबा 16.08 बीधा के स्थान पर वादिया प्रत्यर्थी संख्या 1 को 12 बीघा का खातेदार घोषित किया जाता है। शेष निर्णय यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोडूदान देथा)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य